ई–मेलः– fdpilibhittr@gmail.com

कार्यालय वन संरक्षक/फील्ड डायरेक्टर, पीलीभीत टाइगर रिजर्व वृत्त पीलीभीत

पत्रांक 1214 /14-1 , **पीलीभीत, दिनांक–** 23/12/**2021**

(बनकटी रोड, पीलीभीत– 262001)

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0 लखनऊ।

विषय :– कार्योपरान्त स्वीकृति (Ex-post Facto) हेतु इण्डियन ऑयल कारपोरेशन लि0 द्वारा बीसलपुर–बिलसण्डा मार्ग सं0–62 पी0ए0के चैनेज 5.924 से 5.959 दॉयी पटरी पर ग्राम–ईटगॉव, तहसील–बीसलपुर, जिला– पीलीभीत में स्थित खसरा/गाटा सं0–821 में रिटेल आउटलेट/पेट्रोल पम्प की स्थापना हेतु संरक्षित वन भूमि 0.114123 हे0 के गैर वानिकी प्रयोग व 1 वृक्ष की पातन अनुमति के सम्बन्ध में (प्रस्ताव संख्या–PF/UP/Others/30687/2017)

सन्दर्भ :– **आपके कार्यालय का पत्रांक– 189/11–सी–एफ0पी0/यू0पी0/अन्य/30687/2017, दिनांक– 15.07.2021 एवं प्रभागीय निदेशक, सा0वा0 प्रभाग, पीलीभीत के कार्यालय का पत्रांक 2071/15–1 दिनांक– 23.12.2021**

महोदय,

आपके कार्यालय के उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में सानुरोध अवगत कराना है कि लगायी गयी आपत्तियों का निराकरण प्रभागीय निदेशक, सा0वा0 प्रभाग, पीलीभीत के उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा निम्न प्रकार कर दिया गया है। अतः प्रस्ताव पुनः 03 मूल प्रतियों में संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

Observe No.	Conditions	Status of Complience
01	प्रस्ताव में स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट संलग्न है, किन्तु प्रभागीय निदेशक के हस्ताक्षर नही है।	स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट पर प्रभागीय निदेशक के हस्ताक्षर कर संलग्न है।
02	प्रस्ताव के साथ दण्डात्मक एन0पी0वी0 की गणना भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्र दिनांक 29.01.2018 के अनुसार संलग्न नही की गयी है। अतः भारत सरकार नई दिल्ली के पत्र दिनांक 29.01.2018 के अनुसार ब्याज सहित गणना संलग्न करें।	प्रस्ताव के साथ दण्डात्मक एन0पी0वी0 की गणना भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्र दिनांक 29.01.2018 के अनुसार संलग्न है।
03	प्रभागीय निदेशक द्वारा एच–2 केस निर्गत किया गया है किन्तु Compounding सम्बन्धी आदेश की सत्यापित प्रति एवं सत्यापित रसीद प्रस्ताव में संलग्न नही की गयी है। अतः सत्यापित Compounding सम्बन्धी आदेश की प्रति एवं सत्यापित रसीद प्रस्ताव में संलग्न करें।	प्रभागीय निदेशक द्वारा एच–2 केस निर्गत किया गया है जिसके Compounding सम्बन्धी आदेश की सत्यापित प्रति एवं सत्यापित रसीद संलग्न है।
04	विषयगत प्रकरण में दोषी अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध की गयी कार्यवाही प्रस्ताव में सलग्न नही की गयी है।	विषयगत प्रकरण में दोषी अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध की गयी कार्यवाही संलग्न है।
05	प्रस्ताव में संलग्न प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की वैधता दिनांक 30.09.2019 से समाप्त हो चुकी है। अतः बढी हुई वैधता का प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न करें।	प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की दिनांक 31.03.2022 तक बढी हुई वैधता का अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न हैं।

संलग्नकः–यथोपरि।

भवदीय,

(जावेद अख्तर) 23/12/21
वन संरक्षक/फील्ड डायरेक्टर
पीलीभीत टाइगर रिजर्व वृत्त पीलीभीत।

F:\Ankit (P.T.R.)\FD Office\Survour\Ccf letters (Petrol Pump).docx